19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

D 877827

कोषालय (शहर) - 8 MAY 2015 जोधपुर (राज.)

बख्शीशनामा

बख्शीशनामा एक लिख दिया मैं **श्रीमती गीतादेवी पत्नि श्री अशोक कुमार जी जाति कलाल आयु 64 वर्ष निवासीनी रोहट** तहसील रोहट जिला पाली में रहने वाली में रहने वाली जो आगे इस दस्तावेज में **बख्शीशकर्ती–प्रथमपक्ष** की संज्ञा से संबोधित की जावेगी , ने

ब ह क

आप, **रोहट पब्लिक शिक्षा सेवा समिति, रोहट जिला पाली** (राज) (**पंजीयन** कमांक/पाली/124/2012–13) जरिये सचिव श्रीमती रीना **चौहान पुत्री श्री अशोक कुमार** आयु 33 वर्ष जाति मेवाड़ा कलाल निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली में रहने वाली जो आगे इस दस्तावेज में **बख्शीशग्रहिता–द्वितीयपक्ष** की संज्ञा से संबोधित की जावेगी,

के हक में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देती हूँ

उप पंजीयक, रोहट (पाली)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक, रोहट

नाम मुद्रांक विक्रेता – [illegible] / [illegible]

पंजि. क्र. सं. 113 दिनांक 13/3/15 रु. 1000/-

मुद्रांक क्रेता का नाम गीता देवी

पिता / पति का नाम अशोक कुमार

पता – रोहट जिला पाली

प्रयोजन [illegible]

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता [illegible] Adv.

क्रेता / हस्ते के हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible] जोधपुर

18

यह है कि मुझ प्रथमपक्ष की खातेदारीसुदा कृषि भूमि वाके ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली के **खसरा नम्बर 296/2 रकबा 4 बीघा किस्म जमीन बारानी दोयम** में स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड संम्वत 2066 से 2069 की जमाबंदी की खेवट खतौनी संख्या नई 827 व पुरानी 724 से स्पष्ट है व वर्तमान में, राजस्व रेकर्ड संम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी की खेवट खतौनी संख्या नई 1127 व पुरानी 827 से स्पष्ट है। उक्त कृषि भूमि को नियमानुसार सहायक नगर नियोजक, जोन पाली द्वारा स्वीकृत करवाया गया, तत्पश्चात उक्त खसरा की कृषि भूमि रकबा 4 बीघा में से रकबा 3 बीघा (4857 वर्गमीटर) कृषि भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित करवाने हेतू जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त कृषि भूमि पर श्रीमती गीता के स्वत्व, धारण एवं आधिपत्य की जांच करने के पश्चात उक्त भूमि के रूपांतरण से संबधित नियमानुसार राशि, रूपांतरण शुल्क एवं विकास शुल्क की राशि प्राप्त करने के पश्चात उक्त कृषि भूमि रकबा 3 बीघा (4857 वर्गमीटर) का संपरिवर्तन आदेश जरिये कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलेक्टर, पाली द्वारा जरिये कमांक– एफ12(3)(25) सं.प./राज/12/352 दिनांक 30.01.2013 को श्रीमती गीता के नाम से जारी किया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित जायदाद पर आज दिन तक मै प्रथमपक्षकार एक मात्र बहैसियत मालिक के, काबिज हूं तथा मुझ प्रथमपक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि को बहैसियत मालिक के उपयोग व उपभोग में लेने व हर प्रकार से मुंतकिल करने का हक व अधिकार मुझ प्रथमपक्ष में निहित है तथा मुझ प्रथमपक्षकार के अतिरिक्त अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई हक, दखल व अधिकार नहीं हैं। उक्त बक्शीश की जा रही भूमि के नाप व पाडोस का विवरण निम्न प्रकार हैः–

पाड़ौस –

उत्तर में	–	कच्चा रास्ता
दक्षिण में	–	100 फुट चौडी सडक
पूर्व में	–	अन्य खसरान की भूमि
पश्चिम में	–	खसरा नम्बर 296/6
नाप	–	रकबा 3 बीघा (4857 वर्ग मीटर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक, रोहट

(श्रीमती गीतादेवी)

(श्रीमती रीना चौहान),सचिव
रोहट पब्लिक शिक्षा सेवा समिति,

आज दिनांक 19 माह May सन् 2015 को 17:24 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHOK KUMAR
उम्र 60 वर्ष, जाति KALAL व्यवसाय BUSSINESS
निवासी ROHAT
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, ROHAT
(2015002229)
(Gift Deed)

रसीद नं0 2015002019 दिनांक 19/05/2015
पंजीयन शुल्क रू0 18490/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 9250/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 91420/-
कुल योग रू0 119460/-

(2015002229)
(Gift Deed)
उप पंजीयक, ROHAT
उप पंजीयक, रोहट [पाली]

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक, रोहट

17

यह है कि उपरोक्त वर्णित रूपांतरित भूमि आप द्वितीयपक्षकार श्रीमती रीना चौहान जो मेरी पुत्री होने से आपस में रक्त संबध है, जिसके प्रति प्रेम व स्नेह से उक्त रूपांतरित भूमि को मेरी पुत्री श्रीमती रीना चौहान के एक पंजीबद्ध शिक्षण संस्थान **रोहट पब्लिक शिक्षा सेवा समिति, रोहट जिला पाली (राज) (पंजीयन कमांक/पाली/ 124/2012–13)** को इस बक्शीशनामा के जरिये बक्शीश किया जा रहा है व जिसे बख्शीश में प्राप्त करना आप द्वितीयपक्ष ने भी स्वीकार किया है।

यह है कि मुझ प्रथमपक्षकार ने अपनी उपरोक्त वर्णित रूपांतरित भूमि का आपको बख्शीश कर इसका वास्तविक, मालिकाना व खाली कब्जा मौके पर पूर्व में आप द्वितीयपक्षकार को आज दिन सुपुर्द कर दिया गया है, जिस पर आप द्वितीयपक्षकार ने अपना आधिपत्य कर लिया है, जिसे आप व आपके उत्तराधिकारी वारिसान जिस तरह से चाहे बहैसियत मालिक के उपयोग व उपभोग कर सकेंगे, अपनी ईच्छानुसार किसी अन्य को हस्तान्तरण कर सकेंगे, जिसमें मुझ प्रथमपक्षकार व मेरे उत्तराधिकारी व मेरे वारिसान का किसी प्रकार से कोई हक दखल हिस्सा एवं उजर एतराज नहीं रहेगा।

यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रथमपक्ष ने आज दिन तक किसी प्रकार से बेचान, बख्शीश, इकरार बेचान, रहन, अडाणे, भोगलावे, वसियत मुन्तकिल आदि नही किया है, न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज किसी भी व्यक्ति, सख्स संस्था के हक में तहरीर व तकमील किया हैं, न ही इस बाबत कोई किसी प्रकार का ऋण या भार किसी व्यक्ति विशेष, बैक, संस्था से लिया हैं, न ही आज पहले किसी प्रकार से हस्तान्तरित किया गया हैं, न ही इस बाबत कोई विवाद किसी भी न्यायालय या विभाग में विचाराधीन हैं, न ही किसी प्रकार की कुर्की में कुर्क हैं, तात्पर्य यह हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि व इसके प्रत्येक अंश बाबत जो भी हक हकूक व अधिकार आज दिन तक प्रथमपक्ष के थे व है वे तमाम आज से इस बख्शीशनामा के जरिए आप द्वितीयपक्ष को प्राप्त होंगे। उपरोक्त वर्णित भूमि को किसी भी सरकारी अर्द्ध सरकारी एवं किसी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक, रोहट

(श्रीमती गीतादेवी)

(श्रीमती रीना चौहान)
सचिव
रोहट पब्लिक शिक्षा सेवा समिति,
रोहट जिला पाली

हस्ताक्षर दे फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-GEETA DEVI /ASHOK KUMAR
Age:64, Caste-KALAL
Ocu.-BUSSINESS
R/O-ROHAT

(And Claimant)
1-ROHAT PUBLIC SIKSHA SEWA SMITI JARIYA
SECECTRY REENA CHOUA/ASHOK KUMAR
Age:33, Caste-MEWARA KALAL
Ocu.-BUSSINESS
R/O-ROHAT
R/O-ROHAT

ने लेख्यपत्र Gift Deed
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री KHUSHAL ARORA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH CHAND ARORA उम्र 23 वर्ष
जाति ARORA व्यवसाय PVT. SERVICE
निवासी ROHAT

2. श्री/श्रीमती/सुश्री NEMI CHAND
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHESH KUMAR उम्र 0 वर्ष
जाति KALAL व्यवसाय PVT. SERVICE
निवासी JODHPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015002229)
(Gift Deed)

उप पंजीयक, ROHAT
उप पंजीयक रोहट (पाली)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक, रोहट

संस्था व किसी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का भार एवं चार्ज नहीं है, उक्त जायदाद सभी प्रकार से पाक, साफ व भार मुक्त है।

यह है कि मुझ प्रथमपक्षकार ने आप द्वितीय पक्षकार को उपरोक्त वर्णित भूमि बक्शीश में दी है,, जिसके मुतालिक दस्तावेज मुझ प्रथमपक्षकार के पास हैं, जो असल दस्तावेज आप द्वितीयपक्षकार सुपुर्द कर दिये है। उपरोक्त दस्तावेजात के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मुझ प्रथमपक्षकार के पास इस बाबत नहीं है, और अगर भविष्य में निकलेंगे, तो आपको सुपुर्द कर दिये जायेंगे, अन्यथा उक्त दस्तावेज आपके हक हकूकों के विरूद्ध इस दस्तावेज की रुह से निष्प्रभावी समझे जावेंगे।

यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त रूपांतरित भूमि आपको बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किये अपनी स्वेच्छा से आपसी प्रेम व स्नेहवश के बख्शीश किया जा रहा है व आप द्वितीयपक्षकार ने इसे बख्शीश स्वरूप में प्राप्त करना स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेज बक्शीशनामा का समस्त व्यय मुझ प्रथमपक्षकार द्वारा वहन किया जा रहा है इसलिये उक्त बक्शीशनामा में संलग्न मुद्रांक मुझ प्रथमपक्षकार के नाम से क्रय किये गये है।

लिहाजा यह बक्शीशनामा मुझ प्रथमपक्षकार ने अपनी राजी खुशी अकल होशियारी बिना नशे तन्दुरुस्ती की हालत में सोच समझकर निम्न गवाहान के समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षरो व अंगुष्ठ निशान से स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के प्रसन्नचित रहते हुए आप द्वितीयपक्षकार के हक में तकमील कर दिया है जो सही है व सनद रहे, वक्त जरूरत काम आवें।

ईति शुभ दिनांक

श्रीमती रीना चौहान, सचिव

रोहट पब्लिक शिक्षा सेवा समिति, रोहट जिला पाली

(द्वितीयपक्षकार–बख्शीशग्रहिता)

श्रीमती गीतादेवी

(प्रथमपक्षकार–बख्शीशकर्ता)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक, रोहट

मै, उपरोक्त रूपांतरित भूमि (4857 वर्गमीटर) को मै अपनी माता श्रीमती गीता देवी से बक्शीश (गिफ्ट) में प्राप्त करना स्वीकार करती हूं।

श्रीमती रीना चौहान, सचिव

रोहट पब्लिक शिक्षा सेवा समिति, रोहट जिला पाली

(द्वितीयपक्षकार–बख्शीशग्रहिता)

साख 01. साख एक लिख देता हू मै देवाराम पुत्र श्री शोभाराम आयु 25 वर्ष जाति .... निवासी रोहट .... के रहने वाले की है, उक्त साख मैने प्रथमपक्षकार–बक्शीशकर्ता के कहने से डाली है।

साख 02. साख एक लिख देता हू मै लूणाराम पुत्र श्री नारायणराम आयु ..... वर्ष जाति राईका निवासी रोहट .... के रहने वाले की है, उक्त साख मैने प्रथमपक्षकार–बक्शीशकर्ता के कहने से डाली है।

लूणाराम

उप पंजीयक, रोहट (पाली)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक, रोहट

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 1848264
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 91420 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 18490 कुल रूपये 119460
ज़रिये रसीद संख्या 2015002019 दिनांक 19/05/2015
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 92420
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2015002229) उप पंजीयक, ROHAT
(Gift Deed)

आज दिनांक **19/05/2015** को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 253
में पृष्ठ संख्या 128 क्रम संख्या 2015001857 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 909
के पृष्ठ संख्या 313 से 322 पर
चस्पा किया गया।

(2015002229) उप पंजीयक, ROHAT
(Gift Deed)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक, रोहट

1	नम्बर शुमार व माल	128
2	[illegible]	27-5-2015
3	[illegible]	10 पेज
4		10
5		[signature]
6		
7		27-5-2015
8	[illegible]	
9	[illegible] देने की [illegible] से भेजना	